प्रेस नोट थाना पुवायाँ
जनपद शाहजहाँपुर
सराहनीय कार्य दिनांक - 13.02.2026

"थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाना पुवायाँ पर पंजीकृत तमंचे से जानलेवा हमले से संबंधित अभियोग में वांछित अभियुक्त को एक तमंचा व एक कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी पुवायाँ महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम अपराध एव गिरफ्तारी वाँछित वारंटी/अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस को बडी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.02.2026 को वादी मुकदमा श्री मोमीन खाँ पुत्र वस्सू खाँ निवासी ग्राम खिरिया पाठक थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तगण 1.रबील हसन 2. अमन अली 3.असमेरूल हसन 4. समीर हसन 5. रोजे अली 6. आसिफ 7. शहीद हसन 8. आमिर हसन 9.शमशुल हसन उर्फ छुटक्के पुत्र छंगा 10. इसरत अली 11. शब्बीर निवासीगण ग्राम खिरिया पाठक थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर द्वारा नमाज पढने के दौरान एक साल पुरानी घटना को लेकर हुई बातचीत के कारण वादी को गाली देने तथा विरोध करने पर वादी के पुत्र ममनून खाँ को घर में घुसकर अभियुक्त अजमेरूल हसन द्वारा तमंचे से फायर करना जिससे वादी के पुत्र की दाहिनी कोख मे लगने, अभियुक्त रबील हसन द्वारा फायर करने तथा अन्य अभियुक्तगणो द्वारा ईंट पत्थरो से मारने जिससे वादी पक्ष का सर फट फटने तथा गर्दन में चोट आने के संबध मे थाना पुवायाँ पर मु0अ0सं0 86/26 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/109/125(ख) बीएनएस पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुए घटना के सम्बन्ध मे साक्ष्य संकलित कर शीघ्र अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। जिसके क्रम मे थाना पुवायाँ द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 13.02.2026 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमे में वांछित अजमेरुल हसन पुत्र दफेदार को बगडेर तिराहे पर समय प्रातः 02.40 बजे गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई। अभियुक्त को बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अजमेरुल हसन पुत्र दफेदार उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी ग्राम खिरिया पाठक थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

बगडेर तिराहा, 13.02.2026 समय प्रातः 2.40 बजे।

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारीः-

मु0अ0सं0 086/26 धारा 191(2)/191(3)/190/333/115(2)/352/109/125(B) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम

बरामदगी विवरणः-

1. एक अदद तमन्चा 315 बोर
2. एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

पूछताछ विवरण:- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 06/02/2025 को दिन में करीब 01.30 बजे मेरे तथा ममनून खाँ के परिवार में पुरानी बातो के लेकर झगडा हो गया था। ममनून खाँ के परिवार वालो ने मुझे व मेरे परिवार वालो के साथ मारपीट किए थे। इसी बात को लेकर झगडे के दौरान मुझे गुस्सा आ गया और मैने झगडे के दौरान अपने पास मौजूद तमन्चे से फायर कर दिया। मुझे नही पता कि गोली किसी को लगी या नही लगी। मैं घबरा गया था, और वहाँ से भाग गया था, बाद में मुझे पता चला की मोमिन खां ने मेरे व मेरे परिवार वालो के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया है तभी से मै छुपता फिर रहा था आज मुझे मौका मिला तो मैं इस तमन्चे को ठिकाने लगाने के लिये तथा खुद भी कही छुपने के इरादे से जा रहा था कि तभी आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- म0उ0नि0 सुश्रि साक्षी त्यागी थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
- हे0का0 376 सतीश कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
- हे0का 576 सोहित मिश्रा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
- हे0का0 669 हरपाल सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर